संख्या. 669/18-4-07-18(बजट)/07

प्रेषक

डा. आर.सी. श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

लघु उद्योग अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2008**

विषयः **प्रदेश के निर्यातकों को ''त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत 'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम' के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।**

प्रदेश के निर्यातकों को विपणन विकास सहायता उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2001/18-4-99-18(बजट-4)/99 दिनांक 14.07.1999 एवं शासनादेश संख्या 484./18-4-06-18(बजट-4)/99टी.सी. दिनांक 19 मई 2006 में किये गये प्राविधानों/शर्तों में कतिपय संशोधनों के उपरान्त त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों हेतु **'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम'** के अन्तर्गत निम्नानुसार सहायता अनुमन्य होगीः-

1 विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान

(अ) निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी व्यापार मेला अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता ।

(क) निर्यातक इकाई हेतु स्थल किराये का 60 प्रतिशत्, रू0 1.00 लाख अधिकतम सीमा तक।

(ख) एक व्यक्ति के लिए वायुयान किराये मद में व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु0 50,000/- प्रति निर्यातक तक होगी ।

निर्यातक द्वारा स्थल किराए पर व्यय में निर्यातक का अंश वायुयान व्यय में छूट से अधिक होगा अन्यथा वायुयान व्यय में छूट में कटौती कर दी जायेगी ।

(ब) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा आई0टी0पी0ओ0, उ0प्र0 निर्यात निगम, यूपीटीपीए, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह प्रायोजन से आयोजित किये जाने वाले विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु ।

(1) विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता :-

(i).हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु

(क) आई.टी.पी.ओ. तथा ई.पी.सी.एच. द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेलों में प्रतिभाग हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम के सहयोग से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन हेतु संचालित योजना में अनुमन्य मदों पर व्यय होने वाली धनराशि की योजनानुसार शत्-प्रतिशत् वित्तीय सहायता अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी । सम्बन्धित शिल्पों के सजीव प्रदर्शन हेतु दो हस्तशिल्पी (मास्टर क्राफ्टमेन) भी भाग ले सकते हैं जिनके टी0ए0/डी0ए0 पर होने वाले व्यय भी वित्तीय सहायता हेतु सम्मिलित होंगे।

(ii).सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेलों में प्रतिभाग हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम, यू0पी0टी0पी0ए0, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह-प्रायोजन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के

			प्रदर्शन हेतु आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेला/प्रदर्शिनियों में भाग लेने की स्थिति में 1-अ के अनुसार वित्तीय सहायता की गणना करते हुये आकलित धनराशि की 50 प्रतिशत् अग्रिम के रूप में सम्बन्धित आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन के व्यवस्था हेतु दी जायेगी । जिसका समायोजन मेला उपरांत सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से किया जायेगा ।मेले में भाग लेने वाले दो अधिकारियों को टी0ए0/डी0ए0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुमन्य होगा ।
	(2) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायताः-	(क)	निर्यातक संघों/औद्योगिक संघों, निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल्सके सह प्रायोजन से आयोजित किए जाने वाले मेले पर हुए कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 50.00 लाख तक शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में देय होगी । शेष 50 प्रतिशत या इससे अधिक धनराशि की व्यवस्था औद्योगिक संघ प्रतिभागी इकाईयों के माध्यम से करेंगे । एक मेले में कम से कम 30 लघु उद्योग/हस्तशिल्प इकाईयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
2	निर्यात उत्पाद के प्रचार-प्रसार अभिलेखों (कैटलॉग, विज्ञापन, बेबसाइट आदि) की छपाई हेतु अनुदान ।	(क)	कुल व्यय का 60 प्रतिशत, (अधिकतम् सीमा रू0 60,000/-) प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।
3	विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु अनुदान ।	(क)	वायुयान अथवा कोरियर से सैम्पुल भेजने पर व्यय का 75 प्रतिशत् अनुदान (अधिकतम् सीमा रू0 50,000/-) प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।
4	गुणवत्ता नियंत्रण सहायता, ताकि निर्यातक आई0एस0ओ0-9000 एवं बी0आई0एस0- 14000 की विभिन्न श्रेणी ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी.सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क प्राप्त कर सके।	(क)	व्यय का 50 प्रतिशत् (अधिकतम् सीमा रू0 75,000/) प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।

2- उपरोक्त सहायता प्रदेश के समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य होगी जिनमें मान्यता प्राप्त एक्सपोर्ट हाउसेज भी सम्मिलित होंगे ।

3- उपरोक्त सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा किये गये न्यूनतम् निर्यात के आधार पर अनुमन्य होगी जिसके निर्धारण हेतु योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत प्रदान करने के लिए गठित समिति को पूर्ण अधिकार होगा ।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 1.4.2007 व इसके पश्चात् निर्यातकों द्वारा किये गये व्ययों के सापेक्ष अनुमन्य सहायता हेतु प्रभावी होगा ।

5- वित्तीय वर्ष 2006-07 में व इसके पूर्व वर्ष के लम्बित दावों की स्वीकृति पूर्व संचालित विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या. 484./18-4-06-18(बजट-4)/99टी.सी. दिनांक 19 मई 2006 में निहित प्राविधानानुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी तथा स्वीकृत उपरान्त भुगतान इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्राप्त बजट से किया जायेगा ।

6- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशा0स0 978-ब-10-08 दिनांक 24.1.2008 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0

(डा. आर.सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन ।

संख्या-. 669(1)/18-4-08 तद्दिनांक 06-2-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तर प्रदेश ।
3. लघु उद्योग अनुभाग-4 (गार्ड बुक हेतु) ।

आज्ञा से,

ह0

(मारकण्डेय सिंह)

विशेष सचिव,

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता योजना

मार्गदर्शिका

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश सरकार

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता योजना समस्त MSMEs निर्यातक (मान्यता प्राप्त एक्सपोर्ट हाउसेज सहित) एवं सम्भावित निर्यातक (जो अपने स्तर से विदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं) इकाईयों को उपलब्ध होगी जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हों तथा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के साथ पंजीकृत हों एवं उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत हों अथवा और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006' के धारा-8 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन जमा किया हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता निम्नलिखित कार्यों के लिए उपलब्ध होगीः-

1. **विदेश में प्रदर्शनी एवं मेले में भाग लेने हेतु**
   (अ) निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी व्यापार मेला अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता ।
   (ब) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा आई0टी0पी0ओ0, उ0प्र0 निर्यात निगम, यूपीटीपीए, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह प्रयोजन से आयोजित किये जाने वाले विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापर मेलों/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु ।
      (1) विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता
      (2) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता
2. **निर्यात उत्पाद के प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे - कैटलॉग, विज्ञापन, वीडिओ-कैसेट्स, वेब-साईट आदि के छपाई/निर्माण हेतु ।**
3. **विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु ।**
4. **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0एस0ओ0-9000 श्रंखला एवं बी0आई0एस0-14000 श्रंखला ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए. सी.सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क प्राप्त करने हेतु।**

सहायता की दर एवं नियम :

योजना	दर	प्रतिबन्ध
1. विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान (अ) निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी व्यापार मेला अथवा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता ।	स्थल किराये का 60 प्रतिशत् । वायुयान किराये का 50 प्रतिशत ।	अधिकतम् सीमा रू0 1.00 लाख प्रति निर्यातक । केवल एक व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा रू0 50,000/- प्रति निर्यातक । **निर्यातक द्वारा स्थल किराये पर व्यय में निर्यातक का अंश वायुयान व्यय में छूट से अधिक होगा अन्यथा वायुयान व्यय में छूट की कटौती कर दी जायेगी।**
(ब) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा आई0टी0पी0ओ0, उ0प्र0 निर्यात निगम, यूपीटीपीए, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह प्रायोजन से आयोजित किये जाने वाले विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु ।		

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता **(i).हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु ।**	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन हेतु संचालित योजना के अनुरूप।	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प उत्पादों के सजीव प्रदर्शन हेतु सम्बन्धित हस्तशिल्प के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कृत दो हस्तशिल्पी मास्टर क्राफ्टमेन के रूप में भाग ले सकते हैं । मास्टर क्राफ्ट्समेन तथा दो अधिकारियों के लिए अनुमन्य टी0ए0/डी0ए0 हेतु भी शत्-प्रतिशत् वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सहायता शत्-प्रतिशत् आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी । उक्त सहायता निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम के द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले/प्रदर्शिनियों के लिए ही उपलब्ध कराई जायेगी ।
(ii).सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु ।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के प्रतिभाग करने पर 1-अ के अनुसार	अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेलों में प्रतिभाग हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एवं उ0प्र0 निर्यात निगम, यू0पी0टी0पी0ए0, यूपिको, एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल आदि एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक संघों के सह-प्रायोजन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मेला/प्रदर्शिनियों में भाग लेने की स्थिति में 1-अ के अनुसार वित्तीय सहायता की गणना करते हुये आकलित धनराशि की 50 प्रतिशत् अग्रिम के रूप में सम्बन्धित आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन के व्यवस्था हेतु दी जायेगी जिसका समायोजन मेला उपरांत सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से किया जायेगा ।मेले में भाग लेने वाले दो अधिकारियों को टी0ए0/डी0ए0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुमन्य होगा ।
(2) निर्यातक संघों/औद्योगिक संघों, निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिल के सहप्रायोजन से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता ।	प्रति मेले पर हुए कुल व्यय का 50 प्रतिशत	अधिकतम सीमा रु0 50.00 लाख तथा शेष 50 प्रतिशत या इससे अधिक धनराशि की व्यवस्था औद्योगिक संघ करेंगे । कम से कम 30 MSMEs इकाईयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे ।
2. निर्यात उत्पाद के प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे -कैटलॉग, विज्ञापन, वीडिओ-कैसेट्स, वेब-साईट आदि के छपाई /निर्माण हेतु ।	**कुल व्यय का 60** प्रतिशत् ।	अधिकतम् सीमा रू0 60,000/- प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।
3.विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु।	वायुयान अथवा कोरियर से नमूना भेजने पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत् ।	अधिकतम् सीमा रू0 50,000/- प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।
4.गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0एस0ओ0-9000/ बी0आई0एस0- 14000 श्रेणी ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी.सी.पी. एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क आदि प्राप्त करने हेतु ।	**कुल व्यय का** 50 प्रतिशत् ।	अधिकतम् सीमा रू0 75,000/- प्रति निर्यातक प्रति वर्ष ।

(क).श्रेणी 1 (अ), 2, 3 एवं 4 हेतु नियम :-

1- पात्र इकाई द्वारा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र/एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल (ई0पी0सी0) को श्रेणीवार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रभारी अधिकारी, (ई0पी0सी0) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि इकाई सहायता हेतु पात्र है । निर्यातक को घोषणा-पत्र देना

होगा कि उसके द्वारा इस कार्य हेतु वित्तीय सहायता अन्य किसी सरकारी संस्था/योजना/काउन्सिल से प्राप्त नहीं किया है ।

2- आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्न समिति गठित की जाती है:-

1.	सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि उद्योग एवं विदेश व्यापार	सदस्य
3.	विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
4.	सम्बन्धित जनपद के प्रबन्धक (निर्यात) जि0उ0के0	सदस्य
5.	अपर निर्यात आयुक्त	सदस्य/सचिव

3. यदि यह प्रमाणित होता है कि उत्पादक निर्यातकर्ता द्वारा उपरोक्त धनराशि का दुरूपयोग अथवा जानबूझकर गलत विवरण दिया गया है या तथ्य छुपाए गए हैं तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण धनराशि की वसूली शासकीय देयों के नियमों के अनुसार की जाएगी तथा इस इकाई को काली सूची में डालते हुए कोई अग्रिम सहायता भविष्य में शासन द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। भारत सरकार से इनका 'आई0ई0 कोड' भी निरस्त करने की संस्तुति जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भारत सरकार को जाएगी ।
4. कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अधिकतम अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक निर्यातक इकाई द्वारा आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा और यदि आवेदन-पत्र निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा । यह नियम पूर्व में एम.डी.ए. योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 484, दिनांक 19.5.2006 के लिए भी प्रभावी होगा ।
5. उपरोक्त सहायता मेला/प्रदर्शनी श्रेणी में प्रति इकाई एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु अनुमन्य होगी । अन्य श्रेणियों के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा तक निर्धारित धनराशि अनुमन्य होगी ।
6. यदि योजना में विदेशी-यात्रा सम्मिलित है तो पासपोर्ट एवं वीजा की एक-एक प्रमाणित छाया-प्रति तथा वायुयान टिकट को मूल रूप में, एक छायाप्रति सहित, प्रस्तुत करना होगा।

(ख).श्रेणी 1(ब) के (1) एवं (2) हेतु नियम :-

1. सम्बन्धित आयोजक संस्था द्वारा पात्र इकाईयों के आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये वित्तीय सहायता सम्बन्धी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र, मेला/प्रदर्शनी आयोजन से कम से कम एक माह पूर्व ब्यूरो को उपलब्ध कराये जायेंगे ।
2. उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्न समिति गठित की जाती है :-

1.	सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि उद्योग एवं विदेश व्यापार	सदस्य
3.	विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
4.	सम्बन्धित जनपद के प्रबन्धक (निर्यात) जि0उ0के0	सदस्य
5.	अपर निर्यात आयुक्त	सदस्य/सचिव

3. समिति के माध्यम से स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय सहायता की संकलित धनराशि सम्बन्धित आयोजक संस्था को ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
4. आयोजक संस्था द्वारा कार्य सम्पादन के उपरान्त प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय से सम्बन्धित सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा । मेले में कितने आर्डर/इन्क्वायरी प्राप्त हुई इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा जिन लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों के प्रतिनिधि द्वारा मेले में स्वयं भाग नहीं लिया गया है उनके उत्पादों के लिये जो निर्यात आर्डर/इन्क्वायरी मेले में प्राप्त हुई है उसका विवरण सम्बन्धित इकाई तथा ब्यूरो को आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
5. यदि यह प्रमाणित होता है कि आयोजक संस्था द्वारा उपरोक्त धनराशि का दुरूपयोग अथवा जानबूझ कर गलत विवरण दिया गया है या तथ्य छुपाये गये हैं तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण धनराशि की वसूली सम्बन्धित आयोजक संस्था से की जायेगी ।
6. आयोजक संस्था द्वारा एक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में तीन मेला/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु ले जाने पर सहायता अनुमन्य होगी ।

7. आयोजक संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने वाली इकाई के प्रतिनिधि का पासपोर्ट एवं वीजा की एक-एक छायाप्रति तथा वायुयान टिकट को मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।

8. श्रेणी-1(ब) के (1)-(i) हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शिनियों में प्रदर्शन हेतु :-

(i) सजीव प्रदर्शन हेतु मास्टर क्राफ्ट्समेन के चुनाव में राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पुरस्कृत हस्तशिल्पियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इन क्राफ्ट्समेन का अगले दो वर्ष तक पुनः प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु चयन नहीं किया जायेगा ।

(ii) उक्त मेला/प्रदर्शनी में व्यय होने वाले निम्न मदों पर शत्-प्रतिशत् वित्तीय सहायता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अनुरूप उपलब्ध कराई जायेगी ।

(क). प्रदर्शन हेतु उत्पाद ले जाने का वायुयान किराया (प्रदर्शनी स्थल तक स्थानीय यातायात व्यय सहित)

(ख). उत्पादों के पैकेजिंग एवं बीमा ।

(ग). दो अधिकारियों के टी0ए0(एयर फेयर इकोनामी क्लास) एवं डी0ए0 (भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर अनुसार)

(घ). दो क्राफ्टमेन के टी0ए0 (एयर फेयर Excursions Class**) एवं डी0ए0 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार की योजनानुसार ।**

(च). स्टाल किराया, इंटीरियर डेकोरेशन एवं स्ट्रक्चर, विद्युत एवं जल, टेलीफोन, प्रचार-प्रसार एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा संचालित उक्त योजना में निहित प्राविधानानुसार

9. श्रेणी-1(ब) के (1)-(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन हेतु :-

विदेशी मेला/प्रदर्शनी में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जायेगा जिनमें सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों के भाग लेने पर उन्हें 1-(अ) के अनुसार (व्यक्तिगत् रूप से विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी तथा मेले में भाग लेने वाले दो अधिकारियों को टी0ए0/डी0ए0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुमन्य होगा। कुल आकलित धनराशि का 50 प्रतिशत् आयोजक संस्था को मेला/प्रदर्शनी के आयोजन की व्यवस्था हेतु अग्रिम के रूप में दी जायेगी जिसका समायोजन मेला/प्रदर्शनी के उपरान्त आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से किया जायेगा ।

1. अन्य नियम

विभिन्न श्रेणियों में उपरोक्तानुसार उल्लिखित वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्यातकों द्वारा किये गये व्ययों के सापेक्ष उपलब्ध कराई जायेगी तथा वर्ष 2006-07 व इसके पूर्व दावा वर्षों के लिए विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 484 दिनांक 19.5.2006 में निहित व्यवस्थानुसार ही अनुमन्य वित्तीय सहायता उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्वीकृतियां प्रदान की जायेगी जिनका भुगतान इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये आवंटित बजट से किया जायेगा ।

ह0

(डा. आर.सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र – I

विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी श्रेणी

जनपद : **दावे से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष :** **तिथि :**

---

1 निर्यातक इकाई का नाम : ______________________

2 कार्यालय का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ______________________

____

____

____

3 कार्यशाला का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ______________________

____

____

____

4 इकाई का स्वरूप (एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्रा0लि0 कम्पनी/अन्य) : ______________________

5 निर्यातक प्रोत्साहन ब्यूरो से पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक : ______________________

6 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ______________________

7 उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन परिषद/बोर्ड का नाम जिसमें इकाई पंजीकृत है: : ______________________

पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ______________________

8 निर्यातक इकाई के उत्पादों का विवरण जिनका निर्यात किया जा रहा है : ______________________

____

9 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार से जारी आई0ई0सी0 कोड संख्या एवं दिनांक : ______________________

10 गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात का विवरण :

क्र0स0	**वर्ष**	**उत्पादों के विवरण**	**एफ0ओ0बी0 मूल्य**	**निर्यात के देश**
01				
02				
03				

11 विदेशी व्यापार मेले/प्रदर्शनी का विवरण

- मेले/प्रदर्शनी का नाम : ____________________
- देश/शहर का नाम : ____________________
- मेले की अवधि : ____________________
- आयोजक संस्था का विवरण : ____________________

12 विदेशी व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाले निर्यातक इकाई के प्रतिनिधि का नाम एवं पद : ____________________

13 विदेशी व्यापार मेले में भाग लेने हेतु देश छोड़ने की वास्तविक तिथि : ____________________

वापस आने की वास्तविक तिथि : ____________________

14 विदेशी व्यापार मेले/प्रदर्शनी से सम्बन्धित वास्तविक व्यय

(क) हवाई मार्ग से आने एवं जाने हेतु इकोनॉमी क्लास से एक व्यक्ति की यात्रा का वास्तविक व्यय : रु0 ____________________

(ख) व्यापार मेले/प्रदर्शनी में स्टाल किराये डेकोरेशन एवं बिजली व्यवस्था पर वास्तविक व्यय : रु0 ____________________

कुल व्यय : रु0 ____________________

15 सहायता हेतु दावे की धनराशि

हवाई यात्रा मद : रु0 ____________________

स्टाल किराया मद : रु0 ____________________

कुल धनराशि : रु0 ____________________

16 दावे एवं पात्रता के सम्बन्ध में घोषण पत्र संलग्न है : **हां/नहीं**

स्थान :................

तिथि :.................

हस्ताक्षर :..........................

नाम :..........................

पद :..........................

संस्था की सील :..........................

संलग्नकः

01. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
02. सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र/जिला उ?ोग केन्द्र में प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति।
03. आई0ई0सी0 कोड प्रमाण-पत्र की प्रति।
04. निर्यातक इकाई के प्रतिनिधि के पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति।
05. व्यापार मेले/प्रदर्शनी में स्टाल आवंटन की इन्वायस की प्रति।
06. हवाई यात्रा टिकट की मूलप्रति।
07. व्यापार मेले/प्रदर्शनी मद में व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु सी0ए0 प्रमाण-पत्र।
08. दावे एवं पात्रता के सम्बन्ध में घोषण पत्र।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र – II

निर्यात उत्पाद का प्रचार-प्रसार श्रेणी

जनपद : **दावे से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष :** **तिथि :**

---

1 निर्यातक इकाई का नाम : ____________________

2 कार्यालय का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ____________________

3 कार्यशाला का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ____________________

4 इकाई का स्वरूप (एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्रा0लि0 कम्पनी/अन्य) : ____________________

5 निर्यातक प्रोत्साहन ब्यूरो से पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक : ____________________

6 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ____________________

7 उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन परिषद/बोर्ड का नाम जिसमें इकाई पंजीकृत हैः : ____________________
पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ____________________

8 निर्यातक इकाई के उत्पादों का विवरण जिनका निर्यात किया जा रहा है : ____________________

9 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार से जारी आई0ई0सी0 कोड संख्या एवं दिनांक : ____________________

10 गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात का विवरण :

क्र0स0	वर्ष	उत्पादों के विवरण	एफ0ओ0बी0 मूल्य	निर्यात के देश
01				
02				
03				

11 कैटलाग/ब्रोशर का संक्षिप्त विवरण

- कितनी प्रतियां छपाई गयी हैं : ______________________
- कुल व्यय धनराशि : ______________________

12 यदि वेबसाइट के निर्माण का कार्य कराया गया है तो : ______________________

- वेबसाइट का पता ______________________
- वेबसाइट निर्माण की तिथि ______________________
- संस्था का नाम/ पता जिससे निर्माण कराया गया ______________________
- कुल व्यय धनराशि ______________________

13 यदि विदेश पत्रिका में विज्ञापन दिया गया है तो उसका पूर्ण विवरण : ______________________

स्थान :................ **हस्ताक्षर** :...........................

तिथि :................. **नाम** :...........................

पद :...........................

संस्था की सील :...........................

संलग्नकः

01. **निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।**
02. **सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र/जिला उ?ीग केन्द्र में प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति।**
03. **आई0ई0सी0 कोड प्रमाण-पत्र की प्रति।**
04. **कैटलाग/ब्रोशर, वेबसाइट की सी0डी0, विदेशी पत्र-पत्रिका जिसमें विज्ञापन छपा है, की प्रति।**
05. **व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु सी0ए0 का प्रमाण-पत्र।**

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम **अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र**

प्रपत्र – III

विदशी क्रेता को फ्री ट्रेड सैम्पल योजना

जनपद : **दावे से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष :** **तिथि :**

---

1 निर्यातक इकाई का नाम : ______________________

2 कार्यालय का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ______________________
____
____
____

3 कार्यशाला का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ______________________
____
____
____

4 इकाई का स्वरूप
(एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्रा0लि0 कम्पनी/अन्य) : ______________________

5 निर्यातक प्रोत्साहन ब्यूरो से पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक : ______________________

6 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ______________________

7 उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन परिषद/बोर्ड का नाम जिसमें इकाई पंजीकृत है: : ______________________
पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ______________________

8 निर्यातक इकाई के उत्पादों का विवरण जिनका निर्यात किया जा रहा है : ______________________
____

9 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार से जारी आई0ई0सी0 कोड संख्या एवं दिनांक : ______________________

10 गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात का विवरण :

क्र0स0	वर्ष	उत्पादों के विवरण	एफ0ओ0बी0 मूल्य	निर्यात के देश
01				
02				
03				

11	फ्री ट्रेड सैम्पल प्रेषण पर किया गया कुल व्यय	:	रु0
12	व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित संस्थाओं को किये गये भुगतान धनराशि विवरण		
	(अ) खातादेयी चेक/डी0डी0 के माध्यम से	:	रु0
	(ब) नकद किया गया भुगतान	:	रु0
	योग	:	रु0
13	व्यय के सापेक्ष सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अनुसार व्यय धनराशि	:	रु0
14	व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु दावा धनराशि	:	रु0
15	दावे एवं पात्रता के सम्बन्ध में घोषण पत्र संलग्न है।	:	**हां/नहीं**

स्थान :................

तिथि :.................

हस्ताक्षर :..........................

नाम :..........................

पद :..........................

संस्था की सील :..........................

संलग्नकः

01. **निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।**
02. **सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र/जिला उ?ोग केन्द्र में प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति।**
03. **आई0ई0सी0 कोड प्रमाण-पत्र की प्रति।**
04. **व्यय के सापेक्ष सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।**

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र - IV

आई0एस0ओ0-9000/बी0आई0एस-14000 प्रमाणन श्रेणी

जनपद : **दावे से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष :** **तिथि :**

1 निर्यातक इकाई का नाम : ____________________

2 कार्यालय का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ____________________

3 कार्यशाला का पता, दूरभाष/फैक्स एवं ई-मेल : ____________________

4 इकाई का स्वरूप (एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्रा0लि0 कम्पनी/अन्य) : ____________________

5 निर्यातक प्रोत्साहन ब्यूरो से पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक : ____________________

6 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ____________________

7 उत्पादों से सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन परिषद/बोर्ड का नाम जिसमें इकाई पंजीकृत है: : ____________________
पंजीकरण संख्या एवं दिनांक : ____________________

8 निर्यातक इकाई के उत्पादों का विवरण जिनका निर्यात किया जा रहा है : ____________________

9 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार से जारी आई0ई0सी0 कोड संख्या एवं दिनांक : ____________________

10 गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात का विवरण :

क्र0स0	**वर्ष**	**उत्पादों के विवरण**	**एफ0ओ0बी0 मूल्य**	**निर्यात के देश**
01				
02				
03				

11	गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्राप्त प्रमाण-पत्र का विवरण	:	____________________
12	संस्था का नाम पता इत्यादि का विवरण जिससे गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया।	:	____________________
13	गुणवत्ता नियन्त्रण प्रमाण-पत्र करने की तिथि	:	____________________
14	प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि यदि कोई हो	:	____________________
15	गुणवत्ता नियन्त्रण प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु व्यय धनराशि	:	रु0 ____________________
16	व्यय के सापेक्ष सहायता हेतु दावे की धनराशि	:	रु0 ____________________
17	दावे एवं पात्रता के सम्बन्ध में घोषण पत्र संलग्न है।	:	रु0 ____________________

स्थान :................   **हस्ताक्षर** :..........................

तिथि :.................   **नाम** :..........................

पद :..........................

संस्था की सील :..........................

संलग्नकः

01. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
02. सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र/जिला उ?ोग केन्द्र में प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति।
03. आई0ई0सी0 कोड प्रमाण-पत्र की प्रति।
04. व्यय के सापेक्ष सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
05. आई0एस0ओ0/बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र की प्रति।